कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर 302015)...

क्रमांक एफ–5()कार्मिक/साप्र./ननिग्रेज/2022./1344 दिनांकः–13/12/2022

कार्यालय आदेश

स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर के आदेश क्रमांक एस्टे/एम/एफ.10(भर्ती)/आरएमएस(टी)/डीएलबी/22/21327 दिनांक 19.10.2022 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन आयोग की पालना में वांछित दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत कर दिये जाने पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्न आवेदक को नगर निगम ग्रेटर जयपुर में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधरी/डिप्लोमाधारी के पद पर निम्नांकित शर्तो पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त आदेश की अनुपालना में निम्नांकित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी के पद पर नियुक्ति हेतु उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः निम्नानुसार कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी को समिति द्वारा पात्रता के साथ संलग्न दस्तावेजो की जांच की जाकर कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में उनके नाम के आगे अंकित नगर निगम ग्रेटर जयपुर में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से नगर निगम ग्रेटर जयपुर में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी के पद पर निम्नांकित शर्तो पर उपस्थिति प्रदान की जाकर इनका पदस्थापन निम्नानुसारं किया जाता है। उक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी अविलम्ब अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापित कार्यस्थल पर देना सुनिश्चित करेंगेः–

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी					
क्र.स	नाम/पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	नगर निगम ग्रेटर जयपुर में ड्यूटी ज्वाईनिंग दिनांक	पदस्थापन
1.	श्री कमलेश यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव	07.05.1997	ओबीसी	27.10.2022	अधिशाषी अभियन्ता प्रोजेक्ट–प्रथम कार्यालय मु०

1. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राथमिक जांच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों की यह सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएं, तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. इस आदेश के अधीन संबंधित निकाय द्वारा अस्थायी (PROVISIONAL) नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे जिसकी पालना में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा विवाह प्रमाण–पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होने, दहेज नही लेने/नहीं देने व धूम्रपान, गुटखा व तम्बाकू का सेवन नहीं करने का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र व बन्ध पत्र, 100/–रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. उक्त नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता के अध्यधीन होगी। पुलिस सत्यापन में नियमानुसार नियुक्ति हेतु प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर अथवा/और चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता नहीं पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश संबंधित निकाय द्वारा बिना सूचना के निरस्त किये जा सकेंगे।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–10(5) डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अटेस्टेशन फॉर्म एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

6. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का प्रमाणित आधार नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि " यदि कभी उक्त प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है तथा 01 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
8. नगर निकायों को आवंटित चयनित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी पद के अभ्यर्थी, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज एवं लिखित आवेदन सहित उपस्थित होंगे जिसकों संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
9. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) वित्त/नियम/2017/दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 (शिड्यूल IV) के अनुसार दो वर्ष परीविक्षाकाल अवधि में रूपये 23700/- प्रतिमाह रस्यूनरेशन देय होगा।
10. यह आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के संबंधित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तो के आधार पर सह्वन या अन्य कारण से हुई त्रूटि (यदि कोई हो तो) को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
11. उपरोक्त पदों से होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदो के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।

(महेन्द्र सोनी)
आईएएस
आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :—

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महो०, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. निजी सहायक, आयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय/गैराज नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. समस्त अधिशाषी अभियन्ता जोन/मुख्यालय/गैराज नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
10. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
11. संस्थापन लिपिक
12. संबंधित श्री......................
13. प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
14. गार्ड फाईल

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर